खण्ड-463, अंक-2
सोमवार, 31 वैशाख, शक संवत् 1929
(21 मई, 2007 ई0)

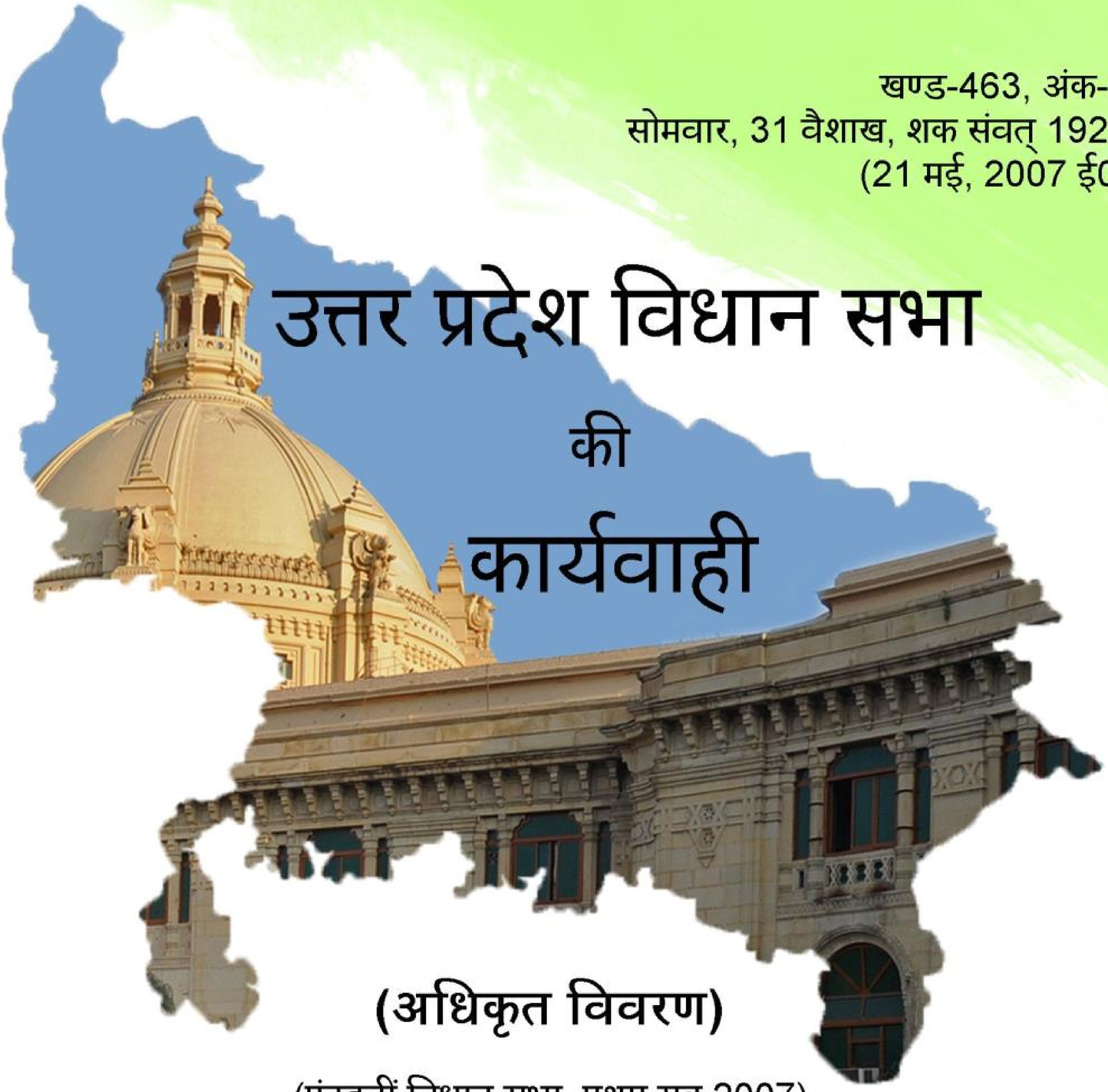

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2007)

खण्ड 463 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
राष्ट्रीय गीत	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का शान्तिपूर्ण ढंग से पूर्ण वाचन करने देने पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन के प्रति आभार प्रकट करना ...	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ	1-9
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन के प्रवेश द्वार बन्द किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	9-11
श्री राज्यपाल के अभिभाषण से सम्बन्धित गन्ना प्रकरण पर गन्ना मिल क्षेत्र में गन्ना रहने तक मिल खुली रखने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध .... (जारी)...	11
श्री राज्यपाल के अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार को "एक असंवैधानिक सरकार का गठन" कहे जाने पर आपत्ति ..... (जारी)	12-14
श्री राज्यपाल के अभिभाषण से सम्बन्धित गन्ना प्रकरण पर गन्ना मिल क्षेत्र में गन्ना रहने तक मिल खुली रखने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध ...	14
श्री राज्यपाल के अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार को "एक असंवैधानिक सरकार का गठन" कहे जाने पर आपत्ति	14-20
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	20
उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव..... (स्वीकृत) ...	20-21

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 मई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-361

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, श्री	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	औरैया
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रज्जी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका, श्री	गाजीपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक यादव पुत्र महेश्वर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिमलेश सिंह, सुश्री	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मो0 अलीम खां, श्री	बुलन्दशहर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	हाथरस
यशवन्त, श्री	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, अनू, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार, श्री	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम, श्री	रायबरेली
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधाकृष्ण उर्फ आर0के0 शर्मा, श्री	बरेली
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह, श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीरनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री प्रतापगढ़	
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, श्री	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र, श्री	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन, श्री	बलिया
सिनोद कुमार शाक्य (दीपू भइया), श्री	बरेली
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सीमा, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	सैयूयदा शादाव फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुल्तान बेग, श्री	बरेली	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर		

नोट :-आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी योजना तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राष्ट्रीय गीत

श्री अध्यक्ष-

पहले वन्देमातरम् होगा।

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राज्यपाल को अभिभाषण का शान्तिपूर्ण ढंग से पूर्ण वाचन करने देने पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन के प्रति आभार प्रकट करना

श्री अध्यक्ष-

आज सत्रारम्भ के समय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को इस खुशहाली और सौहार्द के वातावरण में पढ़ा गया इसके लिए मैं सत्ता पक्ष के साथ-साथ प्रतिपक्ष का बहुत आभारी हूं कि लम्बे समय के बाद यह परम्परा कायम हुयी है जो इस बात को इंगित करती है कि लोकतांत्रिक और संसदीय परम्पराओं को कायम करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। इससे एक संदेश गया है इस भारत की महान विधान सभा का, कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सदन में निर्धारित समय तक या जितना भी समय लगा है, महामहिम राज्यपाल ने उसको उद्घोषित किया है। इसके लिये मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता लोकदल तथा अन्य सम्मानित नेताओं का आभार प्रकट करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, वर्ष 2007 के उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के इस अधिवेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं ...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सबकी सहमति से महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जाता है।

[यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि इस प्रदेश की जनता ने एकजुट होकर लगभग 16 वर्ष की अवधि के पश्चात पहली बार पूर्ण बहुमत देकर मेरी सरकार का गठन किया है।

मैंने अपने मंत्रि-मण्डल में प्रदेश के लगभग सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है और मेरा यह प्रयास है कि समाज का हर वर्ग प्रदेश के विकास की प्रक्रिया में समान रूप से जुड़े।

आपने देखा है कि पिछले लगभग चार वर्षों से उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल रहा है। राजनैतिक दलों को तोड़कर एक असंवैधानिक सरकार का गठन करके जनादेश का उपहास किया गया। इस अवधि में प्रदेश की जो दुर्दशा हुई उससे आप सभी परिचित हैं इस अवधि में प्रदेश में अगर किसी का विकास हुआ है तो वह केवल गुण्डों, माफियाओं और अपराधियों का हुआ है। "प्रदेश में जुर्म हैं कम" का भद्दा मजाक करके प्रदेश की जनता का अपमान किया गया। जिस प्रकार का आतंक पिछले लगभग चार वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस किया है उसका वर्णन करना भी मुश्किल है।

इसके अलावा भ्रष्टाचार और घूसखोरी चरम पर पहुंच चुकी थी, तबादलों तथा विकास के कार्यक्रमों में घूस का बोलबाला रहा, जिसकी वजह से बिचौलियों और अपराधी किस्म के ठेकेदारों का वर्चस्व रहा। इन सबका खामियाजा प्रदेश की मासूम जनता को उठाना पड़ा। इसी का परिणाम है कि लगभग 16 वर्ष के अन्तराल के बाद पहली बार प्रदेश की समस्त जनता ने एकजुट होकर आतंक, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्पष्ट जनादेश दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मेरी सरकार का गठन हुआ है।

मेरी सरकार का पहला कार्य प्रदेश को अपराधमुक्त एवं भयमुक्त करना होगा। हम एक अभियान चलाकर उन अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित किया है और सताया है। मेरी सरकार के दौरान अपराधियों की जगह या तो जेल में होगी या प्रदेश के बाहर भागने के लिए उन्हें मजबूर किया जायेगा।

प्रदेश की जनता में शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि हर छोटे-बड़े अपराध की एफ0आई0आर0 दर्ज की जाय। हमारी सरकार फर्जी आंकड़ों के आधार पर यह झूठ नहीं बोलेगी कि 'यू0पी0 में है दम, क्योंकि जुर्म यहां है कम'।

जनता की जिन सम्पत्तियों को अपराधियों द्वारा लूटा गया है अथवा उस पर बलपूर्वक कब्जा किया है, हमारी सरकार उन्हें नियमानुसार मुक्त करायेगी। इसके साथ ही गुण्डों तथा माफियाओं को

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवैधानिक रूप से अर्जित सम्पत्ति से बेदखल किये जाने की भी कार्यवाही की जायेगी ताकि अपराधियों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सके।

मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण उत्पन्न करके कानून का राज्य कायम करना होगा। मेरी सरकार प्रदेश से जंगलराज को जड़ से खत्म करेगी और ऐसा वातावरण तैयार करेगी कि यदि कोई महिला रात में भी अपने घर से निकलती है तो वह अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें प्रदेश में धर्म के नाम पर दंगा-फसाद नहीं होने दिया जाएगा और साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

भू-माफियाओं तथा ठेकेदार माफियाओं को चिन्हित् करके उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सरकारी स्तर पर न कोई सुरक्षा प्रदान की जाएगी और न ही हथियार के लाइसेंस। शातिर अपराधियों के विरुद्ध रासुका, गण्डा एक्ट तथा गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। पुलिस में सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त कराने के उद्देश्य से जनपदों में निरीक्षण प्रभारी एवं थानाध्यक्षों के पद पर अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 30 प्रतिशत तथा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग व समाज के अन्य वर्गों को मिलाकर 70 प्रतिशत पदों पर तैनाती की जाएगी।

मेरी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त और भयमुक्त करने के अलावा रोजगारपरक विकास की ओर ले जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और यह विकास सार्वभौमिक होगा। विधान सभा चुनाव में प्रदर्शित एक नवीन सामाजिक एकता का आदर करते हुए सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जायेगी और मेरी सरकार सर्वजन के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। मेरी सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर थोड़ी बहुत धनराशि देकर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने के बजाय उसे स्वाभिमान से जीने के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जांये। प्रदेश की विकास दर को 10 प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास किया जायेगा, जिसके लिए लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश की आवश्यकता होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। मेरी सरकार द्वारा हर वर्ग को आर्थिक रूप से सम्पन्न करने के लिए योजनायें एवं नीतियां बनायी जायेगी, जिससे इज्जत के साथ हर वर्ग का व्यक्ति अपनी रोजी-रोटी कमा सके और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके।

वर्तमान सरकार का मानना है कि श्रमिकों की खुशहाली एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोत्तरी किया जाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लेकर सत्ता में आने के पांचवें दिन ही मजदूरों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। खेतिहर और अकुशल श्रमिकों का यह तबका समाज का सबसे गरीब वर्ग है, जिसकी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह का प्रयास पहले नहीं किया गया था।

सरकार ने समाज के निर्बल व दबे-कुचले वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कृषि एवं सम्बन्धित कार्यों में लगे श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर 58 रु0 से बढ़ाकर 80 रु0 कर दिया है। इसी प्रकार न्यूनतम प्रतिमाह मजदूरी भी रु0 1508 से बढ़ाकर रु0 2080 कर दी गयी है।

उद्योगों का प्रदेश के दीर्घकालीन विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की जनता के आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाने तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना होना आवश्यक है और यह तभी सम्भव है जब प्रदेश अपराधमुक्त हो और नागरिकों को एक स्वच्छ तथा भयमुक्त वातावरण प्राप्त हो जिसे उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार कृत संकल्प है। प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अवस्थापना, विकास की सुविधायें प्रदान करना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी। अभी तक पूंजी निवेश कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों तक तथा कुछ चुने हुए उद्योगपतियों द्वारा ही सीमित रहा है। उत्तर प्रदेश विकास परिषद के नाम पर उद्योगों को छला गया है। प्रदेश के पुराने उद्योग बड़े पैमाने पर राज्य से पलायन कर चुके हैं। अब जरूरत है नये सिरे से उद्योगों में विश्वास पैदा किये जाने की। मेरी सरकार एक विकासोन्मुख वातावरण सृजित करेगी। आगामी कुछ दिनों में हम कुछ आकर्षक नीतियां घोषित करेंगे तथा बड़ी परियोजनाओं को जनता के बीच में लायेंगे, जिससे प्रदेश का औद्योगिक चेहरा पूरी तरह से बदलेगा। प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

व्यापारियों का प्रदेश के विकास में स्वर्णिम योगदान रहा है। परन्तु विगत लगभग चार वर्षों में उनका उत्पीड़न हुआ है और उनसे बलपूर्वक धन वसूला जाता रहा है। मेरी सरकार प्रदेश के व्यापारियों को सुरक्षा देगी, सुविधा देगी और उनके हितों की हर प्रकार से रक्षा करेगी।

विकास तथा सुरक्षा का मूलभूत आधार प्रशासन तंत्र होता है। विगत 03-04 वर्षों में अधिकारियों की ट्रान्सफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा हैं उनकी वरिष्ठता व योग्यता को नजरअंदाज किया गया। जिसका परिणाम ये हुआ कि अच्छे अधिकारी किनारे पड़े रहे, हतोत्साहित हुए। जबकि भ्रष्ट एवं कर्तव्यहीन अधिकारी प्रदेश को लूटने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिये गये। मेरी सरकार ने इस पूरे तबादला उद्योग को जड़ से खत्म करने का फैसला लिया है। इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था विकसित कर सभी वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण केवल सर्विसेज बोर्ड द्वारा किये जायेंगे और मुख्य मंत्री स्तर पर केवल प्रमुख सचिव तथा ए0डी0जी0 स्तर के अधिकारियों के तबादले ही किये जायेंगे। इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर कठोर अंकुश लगेगा और अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर उचित स्थान मिल सकेगा।

मेरी सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि पूरे प्रशासन तंत्र को गैर राजनैतिक रूप दिया जाय ताकि वह किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रभाव अथवा झुकाव से मुक्त हो सकें मेरी सरकार इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि महत्वपूर्ण पदों पर आसीन अधिकारियों की तैनाती कम से कम 02 वर्ष के लिए सुनिश्चित हो और उक्त व्यवस्था से विचलन मात्र अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाय। परन्तु प्रशासन तंत्र के निरंकुश न होने के प्रति सजग रहते हुए उनके कार्यों का नियमित तौर पर पर्यवेक्षण भी किया जायेगा और अनुशासनहीनता पाये जाने पर प्रशासन तंत्र को कठोर रूप से दण्डित भी किया जायेगा। मेरी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि समस्त प्रशासन तंत्र प्रत्येक कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 बजे से 12.00 तक जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहे। इसी क्रम में प्रशासन की जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए सूचना के अधिकार को और

अधिक प्रभावशाली बनाया जायेगा और प्रशसन तंत्र द्वारा किसी भी स्तर पर सूचनाओं के छिपाये जाने पर मेरी सरकार द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को उत्तम और खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए केन्द्र सरकार से टकराव को समाप्त करके सहयोग का वातावरण तैयार किया जाएगा।

पूर्व की मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए अनेक नये जिलों का सृजन किया गया था, जिन्हें राजनैतिक कारणोंवश पिछली सरकार ने समाप्त कर दिया था। परिणामस्वरूप इन जिलों का विकास पिछड़ गया। मेरी सरकार इन जिलों में जिला बनाने की सभी मूल-भूत सुविधाओं को तत्परता से पूरा करेगी।

बिजली और सड़क, विकास के दो प्रमुख आधार स्तम्भ है। मान्यवर, आप सभी विदित हैं कि प्रदेश की जनता विद्युत की कमी से जूझ रही है। मेरी सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में पुरानी विद्युत इकाईयों का उच्चीकरण करके उनकी क्षमता में वृद्धि की थी। पिछली सरकार नये पावर प्लान्ट लगाने के बारे में लम्बे-लम्बे वायदे करती रही, परन्तु लगभग पौने चार साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी वह उत्पादन तो बहुत दूर, एक इकाई का निर्माण कार्य भी आरम्भ नहीं करा पायी। मेरी सरकार अब इस विषय पर विशेष ध्यान देगी और अगले 3 वर्षों में स्वीकृत योजनाओं को या तो पूरा करायेगी या उन्हें निरस्त करेगी। हम नई इकाईयों को प्रदेश में लायेंगे तथा उन्हें रिकार्ड समय में क्रियान्वित करायेंगे। विद्युत के पारम्परिक उत्पादन स्रोत के अलावा मेरी सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास भी करेगी जिससे ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन हेतु मेरी सरकार लघु-जल विद्युत परियोजनाओं के विकास तथा चीनी मिलों में खोई पर आधारित सह उत्पादन की विद्युत परियोजना की स्थापना की सम्भावना पर गम्भीरता से विचार करेगी।

सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले लगभग चार वर्षों में बहुत पिछड़ा है। कुछ वी0आई0पी0 सड़कों को छोड़कर, जिनमें जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया गया, प्रदेश की शेष सड़कें खस्ताहाल है। सड़क किसी भी समाज के विकास की जीवररेखा होती है। इसके प्रति उदासीनता केवल पिछड़ापन और आर्थिक विपन्नता को जन्म देती है। पिछले लगभग 04 वर्षों में सड़कों के लिए बजट तो बढ़ता गया परन्तु आवागमन के साधन बद से बदतर होते गये। मेरी सरकार इस स्थिति को तत्काल रोकेगी और उच्च स्तरीय सड़कों के जाल से पूरे प्रदेश को जोड़ेगी। मेरी सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु भी ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करेगी। इस वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पक्के सम्पर्क मार्गों द्वारा लगभग 3000 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें लगभग 1500 ग्राम अम्बेडकर ग्राम होंगे।

विकास की रणनीति तय करते समय हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। बिना किसानों की खुशहाली के हम उत्तर प्रदेश की समृद्धि की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी सरकार प्रदेश की कृषि में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के ठोस उपाय करेगी। इसके लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार किये जायेंगे।

गन्ना इस प्रदेश की मुख्य नकद फसल है। वर्तमान में इस प्रदेश में 133 चीनी मिलें हैं। किसान के गन्ने की समस्त उपज की पेराई हो सके और किसान को उसका उचित लाभ मिल सके इसके लिए मेरी सरकार चीनी मिलों की संख्या को बढ़ाने का भरसक प्रयास करेगी। गन्ना किसानों को मिल द्वारा उसके गन्ने का मूल्य समय से प्राप्त हो सके, मेरी सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं तथा धान की खरीद की जाती है, जिसके लिए रबी विपणन वर्ष 2007-2008 में गेहूं खरीद हेतु स्टेट पूल का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। मेरी सरकार गरीब लोगों को निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु जन वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करेगी और प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन देगी।

प्रदेश का दलित, विकास की प्रक्रिया से अभी भी दूर है। हमारी सरकार का प्रयास होगा कि इन वर्गों के विकास एवं सशक्तिकरण के प्रभावी कदम उठाये जायें। भूमि सुधार तथा ग्राम्य विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को नये रूप में मेरी सरकार द्वारा लागू किया जायेगा ताकि कमजोर वर्गों को इनका पूरा लाभ मिल सके। अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना को पुनः पूरे उत्साह से क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 1995, 1997 तथा वर्ष 2002-03 में चयनित ग्रामों के अधूरे कार्यों को प्रथम चरण में अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही इस अन्तराल में खराब हो चुके कार्यों की मरम्मत करायी जाएगी। इसी अवधि में नये अम्बेडकर ग्रामों का चयन कर इन ग्रामों में विकास कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

भूमिहीनों को आवंटन योग्य ग्राम सभा तथा सीलिंग की भूमि के आवंटन का अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुराने पट्टों पर अनाधिकृत कब्जों को हटाने तथा पुराने पट्टेदारों को पुनः कब्जा दिलाने का भी अभियान चलाया जायगा तथा आवंटन योग्य नई भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा।

दैवीय आपदा से निपटने के लिए विस्तृत योजना बनायी जाएगी तथा यह प्रयास किया जाएगा कि दैवीय आपदाओं के प्रकोप को न्यून किया जा सके। सरकार का प्रयास होगा कि भुखमरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न होने पाये।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसा कि छात्रवृत्ति एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना में, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं लाभार्थियों को त्वरित लाभ सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त पात्र छात्रों एवं पेंशनरों को कम्प्यूटरीकृत कराये जाने की योजना पर भी मेरी सरकार विचार कर रही है।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य के सभी मानकों पर मेरी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा और ठोस रणनीति के तहत ह्यूमन डेवलपमेन्ट इन्डीसिस के हर मानक पर प्रदेश को लम्बी छलांग से भारत के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बनाया जाएगा। हर स्तर पर शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करते हुए शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा तथा संस्कृति का वास्तविक केन्द्र बनाया जाएगा।

शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकार अधिकाधिक तकनीकी तथा प्रबन्धकीय शिक्षण संस्थाओं को निजी क्षेत्र में स्थापित करेगी। आई0आई0टी0 तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्सेज की भांति तकनीकी शिक्षा तथा विज्ञान में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु शासकीय सहायता प्राप्त एक संस्था को उच्चीकृत किया जायेगा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के मेधावी छात्रों के साथ ही अन्य निर्बल वर्ग के छात्रों को भी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु मेरी सरकार विशेष सुविधा उपलब्ध करायेगी। प्रदेश में उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मेरी सरकार निजी क्षेत्र में उच्च कोटि के विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा सुलभ कराने हेतु ऐसे विकास खण्डों में जहां कोई महाविद्यालय स्थापित नहीं है, उनकी स्थापना कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 06 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 01 से कक्षा 08 तक शिक्षा प्रदान करने हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जायेंगी।

ग्रामीण स्वास्थ्य हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। वर्तमान चिकित्सा केन्द्रों की दुर्दशा से हम सभी अवगत है। प्रदेश की गरीब जनता को भी गुणवत्तायुक्त निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की जाएगी। प्रदेश के उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा जिनके पास अभी तक स्वयं का भवन नहीं है। सभी नवसृजित जिलों में जिला चिकित्सालयों का शीघ्र निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश के जापानी इन्सीफीलाइटिस बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष योजना बनाकर बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण कराया जाएगा तथा पोलियो को जड़ से समाप्त करके प्रदेश को पोलियोमुक्त कराया जायेगा। मेरी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश का कोई चिकित्सालय चिकित्सकविहीन न रहे। महिलाओं और बच्चों की वर्तमान मृत्युदर में कमी लाने के लिए मेरी सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी और प्रदेश के 270 ग्रामीण सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घण्टे प्रसव की सेवायें उपलब्ध कराये जाने की भी व्यवस्था की जायेगी।

सर्वजन समाज की जिन आकांक्षाओं व अपेक्षाओं के साथ प्रदेश में नयी सरकार का गठन हुआ है उन्हें पूरा करने के लिए मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के विकास हेतु योजनायें बनायी जायेंगी। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अभी तक मूल-भूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हुई है। विकास योजनाओं का लाभ कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे इसके लिए मेरी सरकार का प्रयास होगा कि आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाकर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाय।

आप सभी अवगत है कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था जर्जर है। मेरी सरकार फिजूलखर्ची पर प्रभावी रोक लगाने के साथ-साथ राज्य के वित्तीय संसाधनों का उपयोग प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए करेगी। हमारा यह प्रयास रहेगा कि वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करके राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत की जाय।

खेत तक पानी पहुंचाना कृषि के लिए आवश्यक है। यद्यपि सभी सरकारें इस सम्बन्ध में बड़े-बड़े दावे करती रही हैं, परन्तु मेरी सरकार पूर्ण गम्भीरता से इस दिशा में जरूरी कदम उठायेगी

कि नहर के आखिरी छोर तक पानी पहुंचे और छोटे किसान भी सिंचाई के साधनों से युक्त रहें। प्रदेश के ऐसे सीमान्त कृषकों को जिनके पास अभी भी सिंचाई का कोई साधन नहीं है, उन्हें निजी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा और अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे कृषकों को भी यह लाभ दिया जाएगा जिनके पास 0.2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देना मेरी सरकार की नीति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार व्यक्तियों, शिल्पियों परम्परागत कारीगरों महिलाओं आदि को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

देश का सर्वाधिक पशुधन इस प्रदेश में है। प्रदेश की ग्रामीण अंचल की व्यवस्था में पशुधन का विशेष स्थान है। पशुओं से जहां हमें दूध, अण्डा, ऊन व मांस उपलब्ध होता है वहीं पशुओं का इस्तेमाल कृषि में भी किया जाता है। देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इस प्रदेश का प्रथम स्थान है जिसे और आगे बढ़ाने की दिशा में मेरी सरकार द्वारा पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण अंचल के नागरिकों के आर्थिक स्तर में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा दिया जाय। जिसके लिए मेरी सरकार सभी आवश्यक कदम उठायेगी।

बढ़ती हुए आबादी को देखते हुए सुनियोजित नगरीय विकास हेतु नीतियों का निर्धारण करना तथा आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। वर्ष 2005 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास एवं पुनर्वास नीति घोषित की जा चुकी है, जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवास की नई नीति बनायी जानी है। इसके दृष्टिगत मेरी सरकार द्वारा नई शहरी आवास नीति शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाएगी जिसके अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों को भी आवास उपलब्ध कराये जाने के प्राविधान किये जायेंगे। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों के सुनियोजित विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्वच्छ पानी जीवन की मूलभूत जरूरत है और यह दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों के अन्तराल के बाद अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गांव साफ पानी की आपूर्ति से वंचित है। मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि आगामी पांच वर्षों में अधिक से अधिक स्थानों तक टंकी से उपचारित पानी की आपूर्ति की जाये। शहरी क्षेत्रों में भी पानी की सप्लाई को उच्चस्तरीय बनाया जाएगा तथा आपूर्ति के समय में भी वृद्धि की जायेगी।

वन, प्रकृति द्वारा मानव को प्रदत्त अमूल्य निधि है। प्राकृतिक वनों के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। वनों में अवैध कटान, अवैध शिकार तथा अवैध खनन रोकने के लिए मेरी सरकार द्वारा वन अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जायेगा।

इस प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। मेरी सरकार इन संभावनाओं को साकार करने के लिए योजनाबद्ध कार्यवाही करेगी। देशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेरी सरकार प्रदेश में उच्च स्तरीय अवस्थापना विकसित करने की दिशा में सार्थक कदम उठायेगी। इसके साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा का यथोचित वातावरण बनाया जाएगा ताकि प्रदेश में उनकी यात्रा एवं प्रवास सुखद तथा आरामदायक हो।

आर्थिक रूप से विपन्न लोगों ने गरीबी के कारण जो आत्महत्याएं की हैं, उनके कारण का निदान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए सभी योजनाओं की जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा हर महीने समीक्षा की जाएगी, जिसके पश्चात् मण्डलायुक्त और शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान एवं त्याग करने वाले वीर सेनानियों के प्रति मेरी सरकार पूर्ण आदर एवं सम्मान व्यक्त करती है। सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पांच हजार रुपये मासिक पेंशन प्रदान कर रही है। उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहचर सहित पूरे प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लखनऊ एवं मथुरा में सेवा सदन स्थापित हैं।

नक्सलवाद व माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है, जिसके लिए वह आवश्यक कदम उठायेगी।

हमारी सरकार शीघ्र ही नया बजट लायेगी। उस बजट में हमारी प्राथमिकता को मूल स्वरूप दिया जाएगा। मेरी पूर्व सरकार द्वारा बनायी गयी योजनाओं जैसे अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाएगा तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किया जाएगा। मेरी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम और खुशहाल प्रदेश बनाने की बात केवल नारा ही नहीं होगी, बल्कि इसे हकीकत में साकार किया जाएगा।

प्रदेश में सभी वर्गों के हित के लिए एक समतामूलक समाज की स्थापना करना मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश की जनता धर्म, जाति, सम्प्रदाय और संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर भाईचारे का व्यवहार करे, जिससे कि प्रदेश की सम्पूर्ण जनता को विकास के महायज्ञ में बराबर की भागीदारी का मौका प्राप्त हो सके।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके सम्मुख सरकार की प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की है। इस सत्र में कुछ विधेयक भी आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे। मेरी अपेक्षा है कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए आपका भरपूर सहयोग मिले। इन शुभ-कामनाओं के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आहूत करता हूं।

जय हिन्द।]

(मद संख्या-3 पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने इसे पढ़ा हुआ मान लिया और यह सदन की सम्पत्ति बन गया। इसी मद के बारे में मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो ...

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन के प्रवेश द्वार बन्द किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सुल्तान बेग-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय मैं माननीय लालजी टण्डन और इकबाल महमूद सहित करीब एक दर्जन लोग थे, जो सदन में आना चाहते थे और सदन का दरवाजा बन्द कर दिया गया, यह व्यवस्था मैंने पहली बार देखी है। इससे पहले मान्यवर, जब भी अभिभाषण होता था, कभी दरवाजा बन्द नहीं होता था। हम एक दर्जन से ज्यादा विधायक बाकायदा बाहर खड़े रहे, ऐसे जैसे क्लास से बाहर कर दिया जाता है, हमें अन्दर नहीं आने दिया जा रहा था, यह कैसी परम्परा है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ज़ी, महामहिम राज्यपाल जी का निर्धारित समय में अभिभाषण जब भी होता है तो अभी तक यह था कि लोग दरवाजा बन्द कर दिया करते थे। उसके आधार पर आये हैं, अगर कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिये क्षमा है।

श्री सुल्तान बेग-

मान्यवर, ऐसी व्यवस्था पहले नहीं हुई थी, पहले कभी जब वोटिंग होती थी तभी दरवाजा बन्द होता था, बाकी दरवाजा नहीं बन्द होता था। ऐसा अगर कोई नियमावली में हो तो हम चाहेंगे कि उसे बतायें कि कौन सी नियमावली है जिसमें लिखा है कि दरवाजा बन्द कर दिया जाए ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि आपने खेद प्रकट कर दिया बिल्कुल सही है लेकिन कोई तो दोषी होगा इसके लिए। अगर पहले दिन ऐसी परम्परा डाली जाएगी और प्रदेश में दहशत का माहौल पैदा किया जाएगा। विधायकों को अन्दर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा तो मान्यवर, क्या सन्देश देना चाहती है सरकार। आज की सरकार क्या सन्देश देना चाहती है, विधायकों को सदन में आने न देकर यह सरकार क्या सन्देश देना चाहती है ? कम से कम इतनी ही घोषणा कर दीजिए कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब तक परम्पराएं आपने देखी होंगी, आप भी वरिष्ठ सदस्य हैं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जब शुरू हो जाता था तो दरवाजा बन्द कर दिया जाता था फिर भी सदस्यों को हुई असुविधा के लिये मुझे खेद है। अगर ऐसा न हुआ हो तो चौधरी साहब बैठे हैं, वह बतायें। चौधरी साहब आप वरिष्ठ नेता हैं आप बता दें कि ऐसी व्यवस्था रही है कि नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपने देखा होगा कई एम0एल0सीज तशरीफ लाये और उन्हें रास्ता भी बताया गया कि इधर से नहीं उधर से आइये लेकिन विधायकों को रोका जाना पहली शुरूआत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री हुकुम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने मेरा नाम तीन बार पुकारा है।

श्री अध्यक्ष-

वह आपके पड़ोसी हैं आप ही समझा दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक बार और पुकार लें, तीन की संख्या अच्छी नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने खेद प्रकट कर दिया तो मामले का पटाक्षेप हो जाता है। लेकिन मान्यवर, यह गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि 19 साल से इसकी आदत पड़ी हुई थी कि वह आये और गये। 19 साल बाद पहली बार फंस गये सब लोग इसलिए मान्यवर, जो थोड़ी सी दिक्कत हुई उसे परिस्थिति के हिसाब से मान लिया जाए। मैं तो 28 साल से आ रहा हूं ऐसा एक या दो बार हुआ है कि काफी लोगों को कष्ट हुआ हो, जो देर से आये उनको भी जिन्होंने पढ़ा उनको भी, जिन्होंने सुना उनको भी हुआ होगा। तो मान्यवर, आदतें पड़ जाती हैं और पीठ पर बैठकर खेद प्रकट कर दिया जाए तो मामले का पटाक्षेप भी हो जाता है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण से सम्बन्धित गन्ना प्रकरण पर गन्ना मिल क्षेत्र में गन्ना रहने तक मिल खुली रखने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आप भी इसे गम्भीरता से लेकर कुछ निर्देश दे दें क्योंकि यह जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है जो अभिभाषण हुआ उसमें इसका उल्लेख भी है, इसमें प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में लिखा गया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हजारों एकड़ गन्ना खेतों में खड़ा है और शुगर मिलें बन्द हो गयी है। मैं मान्यवर, केवल इतना आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से यह आश्वासन आ जाए कि जब तक सारा गन्ना पेरा नहीं जाएगा तब तक कोई भी मिल बन्द नहीं होगी। बदायूं के हमारे सदस्य बैठे हैं, आज वहां पर ट्रैक्टर-ट्राली गन्ने से लदी खड़ी है और मिल बन्द हो गयी है। पूरे प्रदेश में ऐसी ही हालत है। मान्यवर, यह विषय अभिभाषण में लिखा भी है और यह सदन की सम्पत्ति भी बन चुका है, इसलिए मान्यवर, इसे गम्भीरता से देख लें क्योंकि आज भी नोटिस दे दी गयी है कि 12 बजे तक फैक्ट्री बन्द कर दी जाएगी, इसलिए इसे कल तक के लिए न टालिये, आज ही यह निर्देश हो जाएं कि जिन चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ना खड़ा है जब तक उसकी पेराई नहीं हो जाएगी तब तक मिलें बन्द नहीं होंगी केवल इतना ही मैं चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार को "एक असंवैधानिक सरकार का गठन" कहे जाने पर आपत्ति

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के पहले पेज पर आप देखें कि किसी भी सरकार के गठन करने का संवैधानिक दायित्व महामहिम राज्यपाल का होता है। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि एक असंवैधानिक सरकार का गठन किया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ? मान्यवर, अगर कोई सरकार असंवैधानिक है तो उसके गठन करने की जिम्मेदारी तो महामहिम राज्यपाल की ही होगी। मैं आज इसे पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया। महामहिम राज्यपाल ने असंवैधानिक की बात कही है तो सरकार का गठन किया किसने, गठन तो उन्होंने ही किया था। मान्यवर, यह मामला इस सदन के सामने है और मैं इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, नियमों के अन्तर्गत जो भी आप कहना चाहें उसे आप दे दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अब चूंकि माननीय हुकुम सिंह जी ने इस चीज को उठा दिया नहीं तो हम इसे नियम-300 के अन्तर्गत लाते।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब यही बेहतर है, हुकुम सिंह जी ने इसे स्पष्ट कर दिया है, इसे आप उठाना चाहते हैं तो नियमावली के किसी नियम के अन्तर्गत लाइये वहां इसकी वैधता-अवैधता पर विचार हो जायेगा।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

चूंकि विधान सभा में कोई चीज आ गयी तो वह विधान सभा की सम्पत्ति बन गयी तो फिर उसमें कहने का अधिकार हम सभी सदस्यों को है। चूंकि पहले पन्ने पर लिखा है कि पिछली सरकार असंवैधानिक सरकार है। आप संविधान देख लीजिए अनुच्छेद-164 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल जब संतुष्ट हो जाते हैं कि कौन सरकार बनने योग्य है तब महामहिम राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर जो नेता चुना जाता है उसकी सलाह पर मंत्रि-मण्डल का गठन करते हैं। तत्कालीन महामहिम राज्यपाल ने संतुष्ट होकर जब उत्तर प्रदेश में एक सरकार का गठन किया तो फिर क्या दूसरा महामहिम राज्यपाल जो उसी पद पर, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, पद की बात है तो क्या उसे बदल सकता है ? यही अध्यक्ष पीठ, लोग बदलते रहते हैं परन्तु अध्यक्ष पीठ नहीं बदलती है अधिकार उसके असीमित होते हैं जो इस नियमावली के अन्तर्गत हैं। अगर वही अध्यक्ष पीठ अपने से पहले अध्यक्ष की पीठ के कार्यों की निन्दा करे तो संविधान में यह उल्लिखित नहीं है, कभी संविधान की प्रक्रिया भी नहीं रही है क्योंकि पीठ का दिया हुआ निर्णय अन्तिम माना जाता है। चूंकि उस समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महामहिम राज्यपाल ने संवैधानिक दृष्टि से उस सरकार का गठन संवैधानिक रूप से सही पाया और सरकार का गठन किया तो क्या दूसरा महामहिम राज्यपाल प्रदेश का उस सरकार को असंवैधानिक कह सकता है। मेरी आपत्ति इस बिन्दु पर है। श्रीमन् मैं चाहूंगा कि इसे गम्भीरता से लिया जाए और इसे अभिभाषण से निकाल दिया जाए। इसे अभिभाषण का अंग न रखा जाए। अगर इसे अभिभाषण का अंग रखा गया तो इतिहास के पन्नों पर उत्तर प्रदेश का इतिहास भी काला लिखा जायेगा और परम्परायें टूटेंगी, जो उचित नहीं है।

*संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, किसी भी महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है और सरकार की नीतियों का खुलासा अभिभाषण में किया गया है। इसलिए यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इसलिए मान्यवर, आपसे आग्रह है कि इसे औचित्य का प्रश्न न मानें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कहा जा सकता है कि इसे आज बहस का मुद्दा न बनाया जाए लेकिन मान्यवर, कोई भी सरकार संवैधानिक परिधियों से बाहर नहीं जा सकती है, कोई भी सरकार संविधान के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकती है, कोई भी सरकार संविधान के खिलाफ अपनी किताब में कोई चीज छापने के लिए राज्यपाल को मजबूर नहीं कर सकती और उसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए राज्यपाल को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह संविधान के विपरीत दस्तावेज यहां आकर पढ़ दें। इसलिए यह प्रश्न बहुत गम्भीर है, यह सरकार जिसका आज पहला दिन है उसने पहले दिन ही एक असंवैधानिक कदम उठाया है। राज्यपाल वही, व्यक्ति वही, पद वही, जगह वही, सदन वही, प्रदेश वही लेकिन एक सरकार को जिसके लिए अभी चंद रोज पहले आकर उन्होंने इसी तरह से सदन को सम्बोधित किया था संवैधानिक सदन था इसलिए सदन में तशरीफ लाये थे। उन्होंने सरकार को हलफ दिलाया था, इसीलिए वह तशरीफ लाये थे आज वही राज्यपाल और वही व्यक्ति आकर अपनी ही गठित की हुई सरकार को, अपने ही ऐसे सदन को जिसमें दोनों सदनों के मिले-जुले सेशन को सम्बोधित किया हो आज वह असंवैधानिक दस्तावेज पढ़ने के लिए मजबूर हो, मुझे और कम से कम मेरे दल को उनकी इस दुर्दशा पर तरस आ रहा है, रहम आ रहा है, दुःख हो रहा है कि राज्यपाल इतने असहाय, मजबूर और इतने कमजोर हो गये कि एक सरकार के असंवैधानिक लेख को यहां पढ़ने के लिए मजबूर हुए। हम इसकी निन्दा करते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं हुआ है। सरकार की नीतियों को उन्होंने रखने का काम किया है, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार और संविधान के अनुसार रखने का काम किया है उसमें किसी तरह से संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछली सरकार के गठन के सम्बन्ध में अपना फैसला दे दिया था। इसलिए सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद निश्चित रूप से महामहिम ने इस शब्द का प्रयोग करके संवैधानिक मान्यताओं का पालन किया है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के असंवैधानिक होने के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द भी कहा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह याद करें, तारीखी आंखों ने वह दौर भी देखा है, "लमहों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।" ताकत के नशे में इस देश में इमरजेंसी भी लगाई गई उसका अंजाम क्या हुआ इस तरह की ताकत का इस्तेमाल करके संविधान के साथ खिलवाड़ न कीजिए ऐसा हमारा कहना है।

* श्री लालजी वर्मा-

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार संविधान का पूरी तरह से पालन करेगी, नियम कानून से चलेगी। जिन लोगों ने अपनी ताकत के बल पर संविधान के नियमों को तोड़ने का काम किया था, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया था, उनको जनता ने सबक सिखाने का काम किया है।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा जो पहला बिन्दु था उसके बारे में उत्तर नहीं आया।

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष जी, जो संशोधन प्रस्ताव आएगा नेता विरोधी दल जब संशोधन रखने का काम करेंगे उस स्थिति में इस पर चर्चा होगी। आज इस विषय को उठाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण से सम्बन्धित गन्ना प्रकरण पर गन्ना मिल क्षेत्र में गन्ना रहने तक मिल खुली रखने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब तक एक भी अनुबन्धित गन्ना किसानों का शेष रहेगा तब तक मिलें बन्द नहीं होंगी।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार को "एक असंवैधानिक सरकार का गठन" कहे जाने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जो अभिभाषण में असंवैधानिक हिस्सा है उसको निकालने के बारे में मैं पहले निर्णय चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर संसदीय कार्यमंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। महामहिम का पूरा अभिभाषण संवैधानिक आधारों पर हुआ है उसे सदन ने पूरी तरह शांत होकर सुना है। कहीं किसी ने आपत्ति नहीं की है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

यह भी हो सकता था कि हम उस समय विरोध करते लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हमने सदन की शालीनता को बनाए रखा महामहिम के पद की गरिमा को बनाए रखा। लेकिन अब मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि उस हिस्से को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

* श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आभारी हूं कि आपने समय दिया। मैं इसमें सिर्फ दो निवेदन आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण दोनों सदनों की समवेत बैठक में किया जाता है लेकिन वह विधान सभा की कार्यवाही का अंग नहीं है। चूंकि उसकी अध्यक्षता आप नहीं करते लेकिन बाद में जब पीठ द्वारा उसको पढ़ा जाता है तो वह विधान सभा की कार्यवाही का अंग बन जाता है जब वह कार्यवाही का अंग बन गया तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि अभिभाषण में जो असंवैधानिक शब्द आया है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। जैसा कि संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि संशोधन प्रस्ताव जब लाएं तब अपनी बात रखें तो उस वक्त तो हम आलोचनात्मक रूप से अपनी बात रखेंगे ही लेकिन जो एक सवाल असंवैधानिक शब्द को हटाने का हुआ है लेकिन एक सरकार के गठन पर जो उन्होंने सवाल खड़ा किया और राजनैतिक दलों को तोड़कर एक असंवैधानिक सरकार का गठन करके श्रीमन्, यह जो शब्द असंवैधानिक सरकार का गठन करके है आपके पढ़ने के बाद इसका स्थान इस कार्यवाही में नहीं होना चाहिए। इसलिये मान्यवर, आप इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दें और बाकी जो नीतियों की आलोचना, कार्यक्रमों की आलोचना जो निरन्तर इसमें झूठे वायदे फर्जी किये गये हैं उसके बारे में तो मान्यवर, हम अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन के समय पर अपनी बात रखेंगे और अपना काम करेंगे ही करेंगे और तब हम आपको आईना दिखायेंगे इसलिये नहीं कि हम प्रतिपक्ष में आ गये और आप अगर किन्हीं कारणों से सत्ता पक्ष में बैठ गये हैं तो आपको छूट हासिल हो गई किसी को भी खुली [× × ×] देने की। गाली देने का अधिकार मान्यवर, नहीं है। यह सही है कि आप [× × ×] देते रहे हैं। आप राष्ट्र के निर्माता को [× × ×] देते रहे हैं। आप संविधान निर्माताओं को [× × ×] देते रहे हैं। अच्छा हुआ कि आपके जैसा विचारवान् व्यक्ति उस दलदल से निकलकर यहां इस कुर्सी पर बैठ गया। बहुत अच्छा हुआ और इसलिये आपसे कहता हूं कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें और श्रीमन्, उस स्थिति में मान्यवर, जो अभी भी लोग गाली देने में फंसे हुए हैं। और हमको [× × ×] देते-देते संविधान को भी [× × ×] देने लगे हैं उनके इस कृत्य को मान्यवर, कार्यवाही से निकलवा दें। यह हमारा आपसे अनुरोध है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि पूरे अभिभाषण को, फिर आपको आश्वस्त किया उन्होंने कि मैं इसको अब तक का दिखवा लूंगा। जो भी कहा उन्होंने, सरकार का पक्ष आ गया है इसलिये अगला अपना एजेन्डा लीजिए। सरकार की बात आ गई।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, विपक्ष का पक्ष आपके सामने आ गया, सरकार का पक्ष आपके सामने आ गया। निर्णय आपको लेना है आपको निर्णय लेना है कि इतना हिस्सा कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री मोहम्मद आज़म खां साहब, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया। उस अभिभाषण में आपने गैर संवैधानिक शब्द की चुनौती का सवाल उठाया है। जो अभिभाषण में बताया गया है वही राज्यपाल पढ़ रहे हैं जो पिछली बार भी अभिभाषण को पढ़े हैं। इसलिये उस सरकार में वे रहे और इस सरकार में वो हैं। इस बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि कोई गैर संवैधानिक नहीं है और यह संवैधानिक सरकार है। पिछली सरकार को उन्होंने कहा कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जो भी शब्द आया है उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि मैं अभिभाषण के सम्बन्ध में जो भी स्थितियां होंगी उसको मैं दिखवा लूंगा। देख लूंगा पूरे अभिभाषण को। अब उन्होंने कह दिया है तो किस लिये।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मेरा मात्र इतना कहना है....

*संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैंने यह कहा कि अभिभाषण पूरी तरह से संवैधानिक है। उसमें किसी तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो असंवैधानिक हो। (मेजें थपथपाई गईं) इसलिए उसमें कोई भी शब्द निकालने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल ने अपनी सरकार की नीतियों का उल्लेख किया है और संवैधानिक ढंग से किया है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, हमारे समझने में कोई गलती हो रही है। अभी यह तय करना भी मुश्किल है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहा वह सही है या अध्यक्ष पीठ से जो कहा गया है वह सही है। आपने यह फरमाया कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने जवाब में यह कहा कि वे कार्यवाही से उस शब्द को निकालने पर विचार कर लेंगे। दोनों बातें हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी ऐसा मैंने नहीं कहा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि जब हुकुम सिंह जी गन्ना किसानों के बारे में बोल रहे थे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसका निर्णय आपकी पीठ से हो जाय ?

श्री लालजी वर्मा-

हमारा भरोसा आप पर है मान्यवर। संसदीय कार्य मंत्री पर नहीं। यह तो [×××]

श्री अध्यक्ष-

एक बात स्पष्ट कर दूं। जिसको मैंने कहा माननीय हुकुम सिंह जी गन्ना किसानों के बारे में बोल रहे थे तब यह सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको दिखवा लूंगा। अभिभाषण के समय उसका हो जायेगा। तब ही संसदीय कार्य मंत्री ने सन्तुष्ट किया और मैंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया है। सरकार उस पर जो पक्ष लेगी वह आ जायेगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

क्या यह सम्भव है कि कोई असंवैधानिक सरकार देश के सबसे बड़े राज्य में सरकार चलाती रहे। मान्यवर, इसका हम क्या मतलब समझें ? देश में संविधान नहीं रहा ?

श्री अध्यक्ष-

संविधान सर्वोच्च है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

संविधान नहीं रहा देश में।

श्री अध्यक्ष-

संविधान तो सर्वोच्च है देश में।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जो सरकार पिछले दिनों चली, तकरीबन पौने चार साल वह संविधान के विपरीत चली, यह अध्यक्ष पीठ से आ जाए हमारी संतुष्टि हो जाएगी। आपकी पीठ से यह आ जाए कि जो सरकार पौने चार साल चली वह असंवैधानिक चली, हमारी संतुष्टि हो जाएगी मान्यवर।

(व्यवधान)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्रा)-

सरकार का गठन हो गया जिस कारण गठन हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को बर्खास्त कर दिया। जिस कारण गठन हुआ उसको चुनौती दे दी गई चुनौती में विधायक बर्खास्त हो गए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट जिसके कारण सरकार का गठन हुआ उसी पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया, फिर कहां संवैधानिकता रह गई। चार साल इसलिए सरकार चली कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं दे पाया और

नोट :-[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इस पीठ से फैसला नहीं हो पाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया फिर उसके बाद महामहिम राज्यपाल इस संवैधानिक सरकार को नहीं कहने आए कि यह संवैधानिक सरकार है। उसके बाद नहीं आए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो कहां संवैधानिक सरकार है। मान्यवर, 13 लोग बर्खास्त हुए उसके साथ उसी के आधार पर 27 लोग और बर्खास्त होंगे तो कहां वैधानिक सरकार है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिए मिश्रा जी। संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

13 लोग जो बर्खास्त हुए हैं उसी के आधार पर 27 लोग और बर्खास्त हो जाएंगे यह कहां संवैधानिक सरकार है ?

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारी नियमावली है। इस नियमावली के नियम 19 के अनुसार विधान मण्डल के दोनों सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस चर्चा का नियम लिखा हुआ है। इसी नियमावली के अनुसार और संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार, मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने इस सभा को सम्बोधित किया। निश्चित रूप से संविधान के अनुसार और नियमावली के अनुसार उन्होंने संबोधित किया। मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि उसमें एक-एक शब्द संवैधानिक है कोई भी शब्द असंवैधानिक नहीं है।

(सत्तापक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

दूसरा मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होगा उस पर संशोधन भी आएंगे। उस पर चर्चा का अवसर मिलेगा मान्यवर अपनी बातें सदन के सदस्यों को कहने का अवसर मिलेगा। इसलिए इस पर आज चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मैं मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा कि अगला मद लेने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें मान्यवर, विरोध नहीं है जो कहा है कि वह सब सही कहा है। अक्षरशः सही कहा है। शत-प्रतिशत सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। हम उसी के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि वही महामहिम जो उसी संविधान उसी नियमावली के तहत आज पधारे थे, उसी संविधान और उसी नियमावली के तहत उससे पहले भी पधारे थे। आपकी पीठ से हमें यह सूचना मिल जाए कि जब-जब वह यहां पधारें थे असंवैधानिक सरकार का अभिभाषण पढ़ने के लिए पधारे थे। यह आ जाए बस हमारी संतुष्टि हो जाएगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मेरा अनुरोध है इसका जजमेन्ट रिजर्व रख लें, आप राय लेकर फैसला करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अग्रवाल साहब, मा0 चौधरी साहब आप लोग फिर वही बात कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरी बात सुन लें। मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपने जो कह दिया उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मा0 रंगनाथ जी ने एक बात कही, यह रिकार्ड है। उन्होंने एक बात कही संसदीय कार्य मंत्री जी उससे असहमत हो रहे थे इसलिए मैं उसको दुरुस्त करने के लिए कहना चाह रहा हूं। विधान सभा में जो कुछ है वह बहुत महत्वपूर्ण है एक तरफ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया दूसरी ओर कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे पाई। दो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया कि वह निर्णय नहीं दे पाई तो पहले तो यह स्पष्ट हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया या दिया क्या बात है। दूसरी बात मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने एक शब्द भी टिप्पणी सरकार की वैधानिकता पर नहीं किया है, अपने जजमेन्ट में। यह रिकार्ड की बात है। मैं रिकार्ड की बात कह रहा हूं। इसलिए यह टिप्पणी भी बिल्कुल गलत है। आपका निर्णय इस पर आए कि राज्यपाल का अभिभाषण ठीक है या नहीं ? लेकिन रिकार्ड के मामले में गलत बात नहीं आनी चाहिए और खासकर मंत्रि-परिषद् के सदस्य यदि कोई बात कहते हैं तो वह सरकार का कथन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, यह स्पष्ट हो जाए। मेरा दोबारा कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की वैधता पर, सरकार गठन पर एक शब्द भी टिप्पणी नहीं की है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी। मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप बाद में कह लीजिएगा। हुकुम सिंह जी ने गन्ना किसानों के सम्बन्ध में बात कही। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पिछली सरकार को गैर संवैधानिक शब्दों पर आपने एक उद्गार किया, मैंने स्वीकार कर लिया। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप इस पर बहस करें, लेकिन कम से कम नियमों के अन्तर्गत। यह तो एक भावनात्मक तौर पर था मैंने सोचा चर्चा कर ली जाए, उसको आप हमेशा नियमों में लाते रहें, नियमों में ला दें और हमें आज के लिए आगे का कार्यक्रम लेने दीजिए। इसमें तो भावनात्मक था, हम वादा किए हैं, सम्मान किए हैं, कल करा देंगे। इसको नियमों के अन्तर्गत लायें।

(श्री धनीराम वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न यह है जैसा हमारे माननीय आजम साहब ने कहा।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

यह तो हो गया मान्यवर।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, एक निवेदन है, उस विषय पर पूरी चर्चा हो गयी, आपका मैं कल विधिवत् सुनना चाहता हूं, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, क्यों इसमें समय खराब कर रहे हैं ? बैठ जाइये, मान्यवर। अब अगला आइटम लेने दीजिए।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जाइये। आप दोनों बुजुर्ग सदस्य हैं। वर्मा जी, बैठ जाइये। अब अगला मद लेते हैं।

मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 मई, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की कोई सूचनाएं उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में भी मेरे सामने कुछ नहीं आया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 मई, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 21 मई से 24 मई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 24 मई, 2007 को सदन का उपवेशन न हो।

2-दिनांक 22 व 23 मई, 2007 को नियम-56 व 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

3-दिनांक 21 मई से 23 मई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

मई, 2007

21 सोमवार **1-11.00 बजे पूर्वाह्न**

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2-12.30 बजे अपराह्न

---

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

22 मंगलवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

23 बुधवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा एवं धन्यवाद प्रस्ताव का पारण 5.00 बजे अपराह्न।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है। अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 01 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 21 मई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 219 विधान सभा (363)--17-07-07-813 (कम्प्यूटर)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा